रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED No. D—(D) 73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15, 1979 (भाद्रपद 24, 1901)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15, 1979 (BHADRA 24, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 531 |
| भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 1149 |
| भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 39 |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 817 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | — |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट | — |
| भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) | 2175 |
| भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं | 2579 |
| भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश | 339 |
| भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 7075 |
| भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस | 541 |
| भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं | 105 |
| III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 2177 |
| भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस | 119 |

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. | 531 |
| PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. | 1149 |
| PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. | 39 |
| PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence | 817 |
| PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations. .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories .. | 2175 |
| PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. | 2579 |
| PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. | 339 |
| PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. .. | 7075 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. | 541 |
| PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. | 105 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. .. | 2177 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 119 |

# भाग I—खण्ड 1

# PART I—SECTION 1

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1979

संकल्प

सं० ए०-11012/181/77-प्र० 4--दिनांक 28-9-1978 के संकल्प सं० ए० 11013/181/77-प्रशा०-4 के पैराग्राफ 4 तथा संकल्प दिनांक 26 मार्च 1979 में निहित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि 'चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट देने संबंधी योजना (पुनरीक्षण) समिति' अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को दिसम्बर 1979 के अन्त तक पेश करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और इसे सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

रवि दत्त शर्मा, अवर सचिव

---

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1979

आदेश

विषय :—बी०-55 संरचना (अपतटीय क्षेत्र) 263.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/4/79-प्रोडक्शन:—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको बाद में आयोग कहा जायेगा) बी-55 संरचना (अपतटीय) क्षेत्र में 263.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 8-10-1978 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सेट पर 42/- रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैड कंडेसेंट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए . 4 रुपये
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए . 20 रुपये
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए . 100 रुपये
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए . 200 रुपये ; और
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए . . 300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में प्रायोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

अनुसूची "क"

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत बी–55 संरचना (अपतटीय क्षेत्र) आता है और जो अक्षांश 19° 30′ दक्षिण से 19° 43′ 16″ उत्तर तथा देशान्तर 71° 50′ पश्चिम से 72° 3′ 10″ पूर्व के बीच है और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए, बी, सी, डी और ई को मिलाते हुए चित्रित किया है तथा इसका क्षेत्रफल 263.50 वर्ग किलोमीटर है । यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

बेयरिंग

| | अक्षांश | | | देशान्तर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | डि० | मि० | से० | डि० | मि० | से० |
| प्वाइंट ए है | 19 | 30 | — | 71 | 50 | — |
| प्वाइंट बी है | 19 | 35 | 28 | 71 | 50 | — |
| प्लाइंट सी है | 19 | 43 | 16 | 71 | 59 | — |
| प्वाइंट डी है | 19 | 43 | 16 | 72 | 3 | 10 |
| प्लाइंट ई है | 19 | 30 | — | 72 | 0 | 19 |

भूमि पर तीन मुख्य स्थानों से सबसे दूर प्वाइंट की लगभग दूरी निम्नलिखित है :—

1. बम्बई . . . . 115 कि० मी०
2. माहिम . . . . 80 कि० मी०
3. वहानु . . . . 90 कि० मी०

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, कैसिंग हेड कंडेसेन्ट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण ।

बी–55 संरचना के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस
क्षेत्रफल 263.50 वर्ग किलो मीटर
माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

| कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं० | अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या | केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की संख्या | कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ख—कैसिंग हैड कंडेसेन्ट

| प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की संख्या | अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या | केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या | कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ग—प्राकृतिक

| कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या | अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या | केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या | कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घनमीटरों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

एतद्द्वारा मैं श्री————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस वितरण में दी गयी सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर————————

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 16 अगस्त 1979

संकल्प

सं० एफ० 20019/1/77-प्रशा० I—विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पद से डा० आत्मा राम द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 7 अगस्त 1979 से स्थाई प्रबन्ध किए जाने तक योजना आयोग के सदस्य श्री वी० जी० राजाध्यक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के वर्तमान कार्यों को देखेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय और एन० सी० एस० टी० के सभी सदस्यों को सम्प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० वेंकटेश, संयुक्त सचिव

---

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 1979

संकल्प

सं० एफ० 14025/1/77-अर्थ नीति—दिनांक 6 फरवरी 1978 के संकल्प सं० 14025/1/77-अर्थ नीति के द्वारा पुनर्गठित कृषि मूल्य आयोग को सलाह देने वाले कृषिकों के पेनल में यह निर्णय लिया गया है दरमदीम पश्चिमी सिक्किम के श्री जे० डी० पालजोर के स्थान पर जिनका उल्लेख क्रम सं० 18 (सिक्किम) पर किया गया है श्री एल० डी० राय तुरक दक्षिणी सिक्किम को नामजद किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, समस्त राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत महा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय और कृषि विभाग के समस्त संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० एस० स्वामीनाथन, सचिव

---

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1979

सं० एफ० 4-3/79-एफ-2—राष्ट्रपति अन्दमान एवं निकोबार द्वीप-समूह फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की संगम की नियमावली के अनुच्छेद 67(3) के अनुसार कृषि विभाग के मुख्य लेखा नियन्त्रक श्री वी० आर० रामामूर्ति को श्री वैद्यनाथन के स्थान पर अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डवलपमेंट कारपोरेशन के निदेशक मण्डल में अंश कालिक आधार पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी० नायक, अवर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1979

संकल्प

नौवहन

सं० एस डब्ल्यू०/एमएमडी (58)/78-एमडी—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एम० एस० डी०-57/78-एम डी० दिनांक 30 अप्रैल 1979 के द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति के कार्यकाल को नौवहन उद्योग में वर्तमान संकट को दृष्टि में रखते हुए भारतीय नौवहन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए छह महीने की और अवधि के लिए 31 जनवरी 1980 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/समुद्रवर्ती राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र के प्रशासकों और अन्य संबंधित क्षेत्रों को भेजी जाए।

श्रीमती भवानी निर्मल, अवर सचिव

---

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 1979

संकल्प

सं० 2/10/79-यू० एस० डी० IV (.)—पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में सिक्किम राज्य को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उक्त बोर्ड के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन करने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में संकल्प सं० बिजली-दो-34 (10)/77 दिनांक 12 जुलाई 1977 द्वारा यथा संशोधित पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के गठन संबंधी संकल्प सं० ई० एल०-दो-35(7)/63 दिनांक 6 मार्च 1964 के पैरा 2 का पुनर्गठन नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा —

1. अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड।
2. अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम।
3. अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड।
4. अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड।
5, 6 एक प्रतिनिधि यदि कोई हो जो पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा की सरकारों में से प्रत्येक के द्वारा समय-समय पर नामित किया गया हो।
8. प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड।
9. अपर मुख्य इंजीनियर विद्युत विभाग सिक्किम सरकार।
10. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।
11. सदस्य-सचिव।

ऊपर (1) से (4) तक में लिखित सदस्य बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए इस क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

यह संकल्प 13 जुलाई 1979 के समसंख्यक संकल्प को अधिक्रान्त करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा की सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को, दामोदर घाटी निगम को, दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड को, पूर्वी-क्षेत्रीय बिजली बोर्ड को, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को, भारत सरकार के मंत्रालयों को, प्रधान मंत्री के कार्यालय को, राष्ट्रपति के सचिव को, योजना आयोग को और भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को सूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd August 1979

RESOLUTION

F. No. A.11013/181/77-Ad.IV.—In partial modification of the orders contained in para 4 of the Resolution No. A.11013/181/77-Ad.IV dated 28.9.1978, and Resolution No. A.11013/191/77-Ad.IV dated 26.3.1979, the Government of India have decided that 'Central Excise Sugar Rebate Scheme (Review) Committee' will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue) by the end of December, 1979.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. D. SHARMA, Under Secy.

---

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 22th August 1979

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for B-55 Structure (off-shore) area measuring 263.50 Sq Kms.

No. 12012/4/79-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Nature Gas Rules, 1959, the Central Government hereby granst to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for *one* year from 8.10.1978 in the B-55 Structure (off-shore) area measuring 263.50 Sq. Kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/ as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence ;

(ii) Rs. 20/ for the second year of the licence ;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence ;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence ;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boraing and expolration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of demage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to off-shore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE 'A'

The area covered by this Petroleum Exploration licence falls in B-55 structure (offshore area) and lies between latitudes 19° 30' South to 19° 43' 16" North and longitudes 71° 50' West to 72° 3' 10" East and is delineated on the map by the line joining the corner points at ABCD and E and measures 263·50 Sq. Kms. area. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distance in between them are as follows :—

| | Bearing Lati | | | Longi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deg | Min | Sec. | Deg | Min | Sec. |
| Point 'A' is at . . . . . | 19 | 30 | | 71 | 50 | |
| Point 'B' is at . . . . . | 19 | 35 | 28 | 71 | 50 | |
| Point 'C' is at . . . . . | 19 | 43 | 16 | 71 | 59 | |
| Point 'D' is at . . . . . | 19 | 43 | 16 | 72 | 3 | 10 |
| Point 'E' is at . . . . . | 19 | 30 | — | 72 | 0 | 19 |

Approximate distance of farthest point from three prominent places on land as follows :—

1. Bombay . . . . 115 Kms.
2. Mahin . . . . 80 Kms.
3. Dehanu . . . . 90 Kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for — B-55 Structure

Area — Measuring 263·50 Sq. Kms.

Month and Year

**A-Crude Oil**

| Total No. of Kilolitres obtained. | No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir | No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government | No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3 | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

**B-Casing head condensate**

| Total number of Kilolitres obtained | No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir | No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government | No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3 | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

**C-Natural Gas**

| Total number of cubic metres obtained | Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir | Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government | Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3 | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

## DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 16th August 1979

*RESOLUTION*

No. F. 20019/1/77-Admn.I.—Consequent on the acceptance of the resignation by Dr. Atma Ram of the Chairmanship of the National Committee on Science and Technology, the Government of India have decided that with effect from 7th August, 1979, Shri V. G. Rajadhyaksha, Member, Planning Commission, will look after the current duties of the Chairman, National Committee on Science and Technology, until permanent arrangements are made.

*ORDER*

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Members of the NCST.

Ordered also that Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

S. VENKATESH Jt. Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, dated 24th August 1979

*RESOLUTION*

No. F.14025/1/77-Econ.Py.—In the Panel of Farmers to advise the Agricultural Prices Commission, reconstituted *vide* Resolution No. 14025/1/77-Econ. Py. dated 6th February, 1978, it has been decided to nominate Shri L. D. Rai, Tutuk, South Sikkim *vice* Shri J. D. Palzor, Daramdim West, Sikkim, mentioned at S. No. 18 (Sikkim).

*ORDER*

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Govt. of India, State Govts. and Union Territories Administrations, Planning Commission, Prime Minister's Office, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, and all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture).

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. SWAMINATHAN, Secy.

New Delhi, the 23rd August 1979

No. F.4-3/79-F.II.—In pursuance of Article 67(3) of the Articles of Association of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation, Ltd., the President is pleased to appoint Shri V. R. Ramamurthi, Chief Controller of Accounts, in the Department of Agriculture as part-time Government Director on the Board of Directors of Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Ltd. *vice* Shri U. Vaidyanathan.

G. NAIK, Under Secy.

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANPORT

TRANSPORT WING

New Delhi, the 21st August 1979

*RESOLUTION*

SHIPPING

No. SW/MSD(57)/78-MD.—The Government of India decided to extend the term of the High Level Committee set up vide this Ministry's Resolution No. MSD-57/78-MD, dated 30 April, 1979 to examine the problems of Indian shipping in the context of the present crisis in shipping industry for a further period of six months upto 31 January, 1980.

*ORDER*

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part I Section 1.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India/Maritime State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

Smt. B. NIRMAL, Under Secy.

## MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF POWER

New Delhi, the 20th August 1979

*RESOLUTION*

No. 2/10/79-USD-IV(.).—With a view to give representation to the State of Sikkim on the Eastern Regional Electricity Board (EREB), it has been decided to amend the Resolution relating to the constitution of the Board. In pursuance thereof, para 2 of the Resolution No. EL.II35(7)/63, dated 6th March 1964 relating to the composition of the EREB as amended vide Resolution No. EI.II-34/10/77, dated 12th July 1977 shall be re-constituted as follows :—

1. The Chairman, Bihar State Electricity Board.
2. The Chairman, Damodar Valley Corporation.
3. The Chairman, Orissa State Electricity Board.
4. The Chairman, West Bengal State Electricity Board.
5, 6, 7. A representative, if any, that may be nominated by each of the Government of West Bengal, Bihar and Orissa, from time to time.
8. Managing Director, Durgapur Projects Ltd.
9. Additional Chief Engineer, Department of Power, Govt. of Sikkim.
10. A representative of the Central Electricity Authority.
11. The Member Secretary.

The Members at (1) to (4) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Borad, by rotation, for one year each.

This resolution supersedes the resolution of even number dated the 13th July 1979.

*ORDER*

Ordered that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of West Bengal, Bihar, Sikkim and Orissa, the Damodar Valley Corporation, the Durgapur Projects Limited, the Eastern Regional Electricity Board, the Central Electricity Authority, the Ministries of the Government of India, Prime Ministers' Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and to the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also, that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. RAMESH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979